

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/ आषाढ़ 10, 1937

No. 4211

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASADHA 10, 1937

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

सा.का.िन. 525(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2015 कहा जाएगा।
 - (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में, पैराग्राफ 72 के उप-पैरा (7) में जहां भी, "30 दिन" आंकड़े तथा शब्द आए, "20 दिन" आंकड़े तथा शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा.सं. एस-65013/1/2015 एसएस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 को दिनांक 2 सितम्बर, 1952 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1509 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा योजना के पैरा 72 को बाद में निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया, -

- सा.का.नि. 1415, दिनांक 24 सितम्बर, 1964
- II. सा.का.नि. 1707, दिनांक 17 नवम्बर, 1965

- सा.का.नि. 473, दिनांक 14 मार्च, 1977 III.
- सा.का.नि. 141, दिनांक 28 जनवरी, 1982 ΊV.
- सा.का.नि. 449, दिनांक 31 मई, 1983 V.
- सा.का.नि. 188, दिनांक 02 फरवरी, 1985 VI.
- सा.का.नि. 832, दिनांक 23 अक्तबर, 1987 VII.
- सा.का.नि. 421, दिनांक 12 मई, 1988 VIII.
- सा.का.नि. 221, दिनांक 15 मार्च, 1990 IX.
- सा.का.नि. 521, दिनांक 16 अगस्त , 1991 X.
- XI. सा.का.नि. 405, दिनांक 26 अगस्त, 1997
- XII. सा.का.नि. 79, दिनांक 25 फरवरी, 2000
- XIII. सा.का.नि. 228(अ), दिनांक 22 मार्च, 2007
- सा.का.नि. 25(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2011 XIV.
- सा.का.नि. 336(अ), दिनांक 04 मई, 2012 XV.

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT **NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd July, 2015

- G.S.R. 525(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-
 - (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds 1. (Amendment) Scheme. 2015.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 72, in sub-paragraph (7) for the figures and word "30 days" wherever they occur, the figures and word "20 days" shall be substituted.

[F. No. S-65013/1/2015-SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number SRO 1509 dated the 2nd September, 1952 and paragraph 72 of the Scheme was subsequently amended vide notification numbers, -

- GSR 1415 dated 24th September, 1964 (i)
- GSR 1707 dated 17th November, 1965 (ii)
- GSR 473 dated 14th March, 1977 (iii)
- GSR 141 dated 28th January, 1982 (iv)
- GSR 449 dated 31st May, 1983 (v)
- GSR 188 dated 2nd February, 1985 (vi)
- GSR 832 dated 23rd October, 1987 (vii)
- GSR 421 dated 12th May, 1988 (viii)
- GSR 221 dated 15th March, 1990 (ix)
- GSR 521 dated 16th August, 1991 (x)
- GSR 405 dated 26th August, 1997 (xi)
- GSR 79 dated 25th February, 2000 (xii)
- GSR 228(E) dated 22nd March, 2007 GSR 25(E) dated 15th January, 2011 (xiii)
- (xiv)
- GSR 336(E) dated 4th May, 2012 (xv)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 526(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतर्द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1955 को आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, यथा :-

- 1. (1) इस योजना को कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2015 कहा जाएगा।
 - े (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।
- 2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में, पैराग्राफ 17ए में जहां भी "30 दिन" शब्द आए वहां "20 दिन" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा.सं. एस-65013/1/2015 एसएस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को दिनांक 16 नवम्बर, 1995 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा योजना के पैरा 17ए को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 134 दिनांक 28 फरवरी, 1996 द्वारा बाद में संशोधित किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2015

- G.S.R. 526(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-
 - 1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2015.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' Pension Scheme, 1995, in paragraph 17-A, for the words "thirty days" wherever they occur, the words "twenty days" shall be substituted.

[F. No. S-65013/1/2015-SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide notification number GSR 748(E) dated the 16th November, 1995 and paragraph 17-A of the Scheme was subsequently amended vide notification number GSR 134 dated 28th February, 1996.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 527(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6 सी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इस योजना को कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 2015 कहा जाएगा।
 - (2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में, पैराग्राफ 24 के उप-पैरा (4) में जहां भी, "30 दिन" शब्द आए, "20 दिन" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा.सं. एस-65013/1/2015 एसएस-]]]

मनीष कुमार गुप्ता, संयक्त सचिव

टिप्पणी: कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 488(अ) दिनांक 28 जुलाई 1976 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा योजना के पैरा 24 को बाद में निम्नलिखित अधिसचना संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया. -

- सा.का.नि. 873. दिनांक 28 सितम्बर, 1986 Ĭ.
- H. सा.का.नि. 420. दिनांक 31 अगस्त. 1992
- सा.का.नि. 334, दिनांक 29 अगस्त, 1997 III.

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2015

- G.S.R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976, namely :-
 - (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit-linked Insurance (Amendment) Scheme, 2015.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- In the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 in paragraph 24, in sub-paragraph (4) for the words "thirty days" wherever they occur, the words "twenty days" shall be substituted.

IF. No. S-65013/1/2015-SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note: The Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number GSR 488(E) dated the 28th July, 1976 and paragraph 24 of the Scheme was subsequently amended vide notification number, -

- GSR 873 dated 28th September, 1986 GSR 420 dated 31st August, 1992 GSR 334 dated 29th August 1997 (i)
- (ii)
- (iii)